

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 80A/2013-14

छोटा सादो हो बनाम जागता सावैयां

:: आदेश ::

क्रांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

965-2018

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता छोटा सादो हो पिता स्व० घासिया हो, ग्राम-गुडियाडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावों ने गृह मरम्मत एवं कृषि कार्य हेतु क्रेता जागता सावैयां, पिता-स्व० सालुका सावैयां, ग्राम-तितिरबिला, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावों को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।